



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-213/2026/1028/22-2-2025-17(291)/2024
लखनऊ : दिनांक: 18 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 07 अप्रैल, 2025 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अलगू गौड़ (बन्दी संख्या-40/2022) पुत्र श्री जानू गौड़, ग्राम-डूही खुर्द, थाना-जमालपुर, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-95/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 23.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.10.2018 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2025 तक 16 वर्ष, 25 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-213/2026/1028(1)/22-2-2025 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।